**भारत सरकार**
**सहकारिता मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं.2708**
**मंगलवार, 4 अगस्त, 2026/13 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तरार्थ**

## सहकारी समितियों को सुदृढ़ करना

2708. **श्री दर्शन सिंह चौधरीः**

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा देश में नई डेयरी सहकारी समितियां स्थापित करने और मौजूदा डेयरी सहकारी समितियों को अधिक कुशल, आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कोई विशेष योजना या कार्ययोजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान स्थापित की गई नई डेयरी सहकारी समितियों, सुदृढ़ की गई समितियों की निधि, सदस्य किसानों की संख्या, आवंटित एवं उपयोग की गई निधि तथा प्राप्त की गई उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार दूध संग्रहण, शीत श्रृंखला, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, गुणवत्ता परीक्षण, विपणन, डिजिटलीकरण और कार्यशील पूंजी के लिए डेयरी सहकारी समितियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु कोई विशेष पहल कर रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**सहकारिता मंत्री**
**(श्री अमित शाह)**

(क) और (ख): पांच वर्षों की अवधि में प्रत्येक अनाच्छादित पंचायत/गांव में सहकारी कवरेज प्राप्त करने के लिए नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत, अब तक देश भर में 25,552 नई डेयरी सहकारी समितियां (डीसीएस) पंजीकृत की गई हैं । नवस्थापित डेयरी सहकारी समितियों और उनसे जुड़े किसान सदस्यों का राज्य-वार विवरण **संलग्नक-I** पर दिया गया है ।

इसके अलावा, सहकारिता मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) के साथ अभिसरण में, डेयरी सहकारी समितियों को सशक्त करने के लिए देश भर में **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)** कार्यान्वित कर रहा है । इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित दो घटक शामिल हैं:

देश भर में लागू **घटक 'क'**, नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना और मौजूदा समितियों के सशक्तीकरण सहित दुग्ध परीक्षण, प्रापण, शीतलन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए अवसरंचना के निर्माण और सशक्तीकरण का समर्थन करता है ।

घटक 'क' के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों (2023-24 से 2025-26) के दौरान 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 77 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनके अंतर्गत ₹353.71 करोड़ की निधियां जारी की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं तथा जारी की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।
वर्ष 2025–26 से, नई डेयरी सहकारी समितियों के संगठन के लिए घटक 'क' के तहत वित्तीय सहायता भी बढ़ाई गई है । तदनुसार, 11,689 नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना के लिए 25 राज्यों में ₹193.03 करोड़ के कुल परिव्यय से 25 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिसमें ₹103.23 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा शामिल है । ₹68.44 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है, जिसमें से ₹38.89 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है। राज्य-वार ब्योरा **संलग्नक-III** पर दिया गया है।

मौजूदा डेयरी सहकारी समितियों को सशक्त करने के लिए, वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 46,422 समितियों के लक्ष्य के मुकाबले, वर्ष 2024-25 के दौरान 11,871 समितियों और वर्ष 2025-26 के दौरान 19,526 समितियों को सशक्त किया गया। राज्य-वार ब्योरा **संलग्नक -IV** में दिया गया है।

एनपीडीडी घटक 'क' के अंतर्गत दुग्ध संग्रहण, गुणवत्ता परीक्षण, शीतलन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। आज की तारीख तक, 159.45 लाख लीटर की क्षमता वाले 6,580 बल्क मिल्क कूलर्स, 47,578 स्वचालित दुग्ध संग्रह इकाइयां और 9,810 इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध मिलावट परीक्षण इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं।

नौ राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल) में कार्यान्वित **घटक 'ख'** - सहकारिता के माध्यम से डेयरी ,डेयरी प्रसंस्करण और विपणन अवसरंचना के आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करता है और संगठित बाजारों तक किसानों की पहुंच को बढ़ाता है।

(ग) और (घ): जी हाँ मान्यवर । सरकार डेयरी मूल्य श्रृंखला में डेयरी सहकारी समितियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। ऊपर उल्लिखित ब्यौरों के अलावा, एनपीडीडी के घटक 'ख' के अंतर्गत नौ भागीदार राज्यों में 42 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं । ऋण के रूप में ₹895.59 करोड़ और अनुदान के रूप में ₹381.43 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है, जिसके मुकाबले ऋण के

रूप में ₹787.96 करोड़ और अनुदान के रूप में ₹315.55 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। राज्य-वार ब्योरा **संलग्नक-V** में दिया गया है।

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की डेयरी सहकार योजना के अंतर्गत डेयरी अवसंरचना के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है । कार्यशील पूंजी सहायता राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) और ब्याज अनुदान योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है, जबकि डेयरी सहकारी सदस्यों को रूपे किसान क्रेडिट कार्ड, माइक्रो-एटीएम और डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं । विपणन और मूल्य प्राप्ति को सुदृढ़ करने के लिए, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) और डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सहकारी डेयरी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। संधारणीयता पहलों के तहत, डेयरी उत्पादकता, इनपुट आपूर्ति, गोबर प्रबंधन और किसानों की आय में सुधार के लिए दिनांक 31.12.2025 को कोऑपरेटिव इनपुट्स एंड सर्विसेज डिलीवरी मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड' और गोमय सहकारी समिति मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड पंजीकृत की गईं ।
(ङ): उपर्युक्त भाग (ग) और (घ) के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

*****

**संलग्नक-I**

**नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की राज्य-वार स्थिति (15.07.2026 की स्थिति के अनुसार)**

| राज्यवार नए डीसीएस | | | |
|---|---|---|---|
| **क्रम सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **नई डेयरी** | **सदस्य** |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 2 | 29 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 1,067 | 22,600 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 25 | 303 |
| 4 | असम | 725 | 17,250 |
| 5 | बिहार | 4,498 | 1,81,092 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 361 | 5,349 |
| 7 | गोवा | 5 | 53 |
| 8 | गुजरात | 810 | 47,583 |
| 9 | हरियाणा | 197 | 6,205 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 854 | 12,130 |
| 11 | जम्मू और कश्मीर | 1,339 | 18,010 |
| 12 | झारखंड | 300 | 11,365 |
| 13 | कर्नाटक | 1,264 | 1,26,525 |
| 14 | लद्दाख | 3 | 150 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 1,349 | 32,123 |
| 16 | महाराष्ट्र | 1,223 | 72,099 |
| 17 | मणिपुर | 27 | 595 |
| 18 | मेघालय | 17 | 295 |
| 19 | मिजोरम | 2 | 49 |
| 20 | नागालैंड | 5 | 95 |
| 21 | ओडिशा | 1,009 | 41,941 |
| 22 | पुदुचेरी | 3 | 127 |
| 23 | पंजाब | 1,027 | 18,034 |
| 24 | राजस्थान | 3,295 | 60,629 |
| 25 | सिक्किम | 77 | 1,595 |
| 26 | तमिलनाडु | 940 | 32,724 |
| 27 | तेलंगाना | 166 | 3,953 |
| 28 | त्रिपुरा | 2 | 28 |
| 29 | उत्तर प्रदेश | 4,450 | 1,78,721 |
| 30 | उत्तराखंड | 269 | 8,964 |
| 31 | पश्चिम बंगाल | 241 | 8,544 |
| **कुल** | | **25,552** | **9,09,160** |

**संलग्नक-II**

**पिछले तीन वर्षों (2023-24 से 2025-26) के दौरान एनपीडीडी योजना के घटक 'क' के तहत स्वीकृत परियोजनाओं और जारी की गई निधियों का ब्योरा**

| **क्रम सं.** | **राज्य का नाम** | **स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या** | ***जारी की गई*** |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 0 | 0.00 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0.00 |
| 3 | असम | 4 | 2262.71 |
| 4 | बिहार | 2 | 2463.10 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 2 | 384.00 |
| 6 | गोवा# | 1 | 0.00 |
| 7 | गुजरात | 3 | 4563.32 |
| 8 | हरियाणा# | 1 | 0.00 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 3 | 2097.56 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 2 | 139.50 |
| 11 | झारखंड | 2 | 559.51 |
| 12 | कर्नाटक | 9 | 3170.14 |
| 13 | केरल | 5 | 1240.77 |
| 14 | लद्दाख | 2 | 1208.05 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 5 | 3989.66 |
| 16 | महाराष्ट्र | 2 | 34.71 |
| 17 | मणिपुर | 1 | 0.00 |
| 18 | मेघालय | 1 | 0.00 |
| 19 | मिजोरम | 1 | 6.98 |
| 20 | नागालैंड | 1 | 24.24 |
| 21 | ओडिशा | 1 | 0.00 |
| 22 | पुदुचेरी | 4 | 443.68 |
| 23 | पंजाब | 2 | 1763.18 |
| 24 | राजस्थान | 10 | 4228.04 |
| 25 | सिक्किम | 2 | 422.83 |
| 26 | तमिलनाडु | 4 | 4989.69 |
| 27 | तेलंगाना | 2 | 576.38 |
| 28 | त्रिपुरा | 2 | 100.55 |
| 29 | उत्तर प्रदेश | 2 | 594.42 |
| 30 | उत्तराखंड | 1 | 108.12 |
| 31 | पश्चिम बंगाल# | 0 | 0.00 |
| | **कुल** | **77** | **35371.14** |

*इसमें 2023-24 से पहले स्वीकृत चल रही परियोजनाओं में जारी की गई निधियां शामिल है।

"#पिछली परियोजनाओं के तहत अव्ययित शेष के कारण निधियां जारी नहीं की गई।

**संलग्नक-III**

**वर्ष 2025-26 के दौरान एनपीडीडी) के घटक 'क' के अंतर्गत स्वीकृत डेयरी सहकारी समिति (डीसीएस) गठन संबंधी परियोजनाओं की राज्यवार स्थिति (28.07.2026 की स्थिति के अनुसार)**

(लाख रुपये में)

| क्रम सं | राज्य | नई डीसीएस का लक्ष्य | कुल अनुमोदित परिव्यय | केंद्रीय हिस्सा | जारी की गई निधियां | उपयुक्त निधि | खर्च न किया गया* | प्रतिबद्ध देयता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | असम | 600 | 1035.48 | 776.61 | 713.19 | 531.52 | 181.67 | 63.42 |
| 2. | छत्तीसगढ़ | 700 | 1302.00 | 651.00 | 465.00 | 252.34 | 212.66 | 186.00 |
| 3. | गोवा | 5 | 9.30 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 |
| 4. | गुजरात | 201 | 331.68 | 165.84 | 82.92 | 82.92 | 0.00 | 82.92 |
| 5. | हरियाणा | 204 | 168.80 | 84.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.40 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 70 | 130.20 | 97.65 | 69.69 | 54.84 | 14.85 | 27.96 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 400 | 743.61 | 584.71 | 287.90 | 139.50 | 148.40 | 0.00 |
| 8. | झारखंड | 100 | 131.38 | 65.59 | 65.59 | 0.00 | 65.59 | 0.00 |
| 9. | कर्नाटक | 952 | 1704.46 | 852.23 | 852.23 | 436.18 | 416.05 | 0.00 |
| 10 | केरल | 22 | 40.92 | 20.46 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 17.23 |
| 11 | मध्य प्रदेश | 2700 | 3154.37 | 1577.18 | 1231.56 | 701.21 | 530.19 | 0.00 |
| 12 | महाराष्ट्र | 667 | 1240.62 | 620.31 | 310.15 | 0.00 | 310.15 | 310.16 |
| 13 | मणिपुर | 100 | 186.00 | 139.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.50 |
| 14 | मेघालय | 10 | 18.60 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | मिजोरम | 10 | 18.60 | 13.95 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 6.97 |
| 16 | नागालैंड | 35 | 65.10 | 48.83 | 24.24 | 24.24 | 0.00 | 24.59 |
| 17 | उड़ीसा | 1205 | 2241.30 | 1120.65 | 560.33 | 0.00 | 560.33 | 560.32 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | पांडिचेरी | 3 | 5.58 | 4.19 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 2.09 |
| 19 | पंजाब | 408 | 664.93 | 332.47 | 289.20 | 156.33 | 132.87 | 0.00 |
| 20 | राजस्थान | 2500 | 4650.00 | 2325.00 | 1162.50 | 1162.50 | 0.00 | 1162.50 |
| 21 | सिक्किम | 12 | 10.45 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | तमिलनाडु | 323 | 600.78 | 300.39 | 300.39 | 176.14 | 124.25 | 0.00 |
| 23 | त्रिपुरा | 45 | 76.77 | 57.57 | 57.57 | 28.78 | 28.79 | 0.00 |
| 24 | उत्तराखंड | 155 | 288.30 | 216.23 | 216.23 | 108.12 | 108.11 | 0.00 |
| 25 | पश्चिम बंगाल | 262 | 483.27 | 241.64 | 120.82 | 0 | 120.82 | 120.82 |
| | **कुल** | **11689** | **19302.50** | **10322.84** | **6843.62** | **3888.73** | **2954.73** | **2793.52** |

*वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान स्वीकृत नई परियोजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधियां, जिसमें वर्ष 2023-24 से पहले स्वीकृत चालू परियोजनाओं के अंतर्गत जारी निधियां शामिल नहीं है।

#पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध अव्ययित शेष के कारण निधियां जारी नहीं की गई।

**(जारी...)**

**संलग्नक -III**

**राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) के घटक 'क' के अंतर्गत नई दुग्ध सहकारी समितियों (डीसीएस) के गठन का राज्य-वार स्वीकृत लक्ष्य एवं उपलब्धि (वर्ष 2025-26 से अब तक)**

| क्रम सं | राज्य का नाम | स्थापित नई डीसीएस की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 0 | 0 |
| 2 | असम | 600 | 600 |
| 3 | बिहार | 0 | 0 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 700 | 247 |
| 5 | गोवा | 5 | 0 |
| 6 | गुजरात | 201 | 99 |
| 7 | हरियाणा | 204 | 0 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 70 | 108 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर | 400 | 100 |
| 10 | झारखंड | 100 | 0 |
| 11 | कर्नाटक | 952 | 490 |
| 12 | केरल | 22 | 3 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 2700 | 1758 |
| 14 | महाराष्ट्र | 667 | 0 |
| 15 | मणिपुर | 100 | 0 |
| 16 | मेघालय | 10 | 0 |
| 17 | मिजोरम | 10 | 0 |
| 18 | नागालैंड | 35 | 31 |
| 19 | ओडिशा | 1205 | 44 |
| 20 | पांडिचेरी | 3 | 0 |
| 21 | पंजाब | 408 | 408 |
| 22 | राजस्थान | 2500 | 1825 |
| 23 | सिक्किम | 12 | 12 |
| 24 | तमिलनाडु | 323 | 323 |
| 25 | तेलंगाना | 0 | 0 |
| 26 | त्रिपुरा | 45 | 21 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 0 | 0 |
| 28 | उत्तराखंड | 155 | 94 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 262 | 0 |
| | **कुल योग** | **11689** | **6163** |

**संलग्नक -IV**

## वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान विद्यमान डेयरी सहकारी समितियों (DCS) के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्यवार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 2024-25 | | 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 211 | 5 | 1,605 | 802 |
| 2 | असम | 18 | 0 | 55 | 338 |
| 3 | बिहार | 610 | 260 | 2,985 | 3,124 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 45 | 0 | 180 | 205 |
| 5 | गोवा | 6 | 0 | 30 | 0 |
| 6 | गुजरात | 440 | 3,956 | 2,098 | 721 |
| 7 | हरियाणा | 119 | 0 | 422 | 186 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 19 | 148 | 57 | 57 |
| 9 | जम्मू एवं कश्मीर | 33 | 756 | 32 | 32 |
| 10 | झारखंड | 32 | 153 | 150 | 70 |
| 11 | कर्नाटक | 410 | 619 | 2,117 | 1,569 |
| 12 | केरल | 83 | 379 | 158 | 578 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 273 | 67 | 1,038 | 1,646 |
| 14 | महाराष्ट्र | 419 | 0 | 985 | 244 |
| 15 | मणिपुर | 2 | 0 | 20 | 0 |
| 16 | मेघालय | 1 | 133 | 61 | 44 |
| 17 | मिजोरम | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | नागालैंड | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | ओडिशा | 114 | 209 | 342 | 314 |
| 20 | पुदुच्चेरी | 3 | 0 | 35 | 33 |
| 21 | पंजाब | 244 | 539 | 553 | 1,149 |
| 22 | राजस्थान | 470 | 817 | 600 | 1,838 |
| 23 | सिक्किम | 17 | 205 | 10 | 124 |
| 24 | तमिलनाडु | 297 | 3,426 | 97 | 2,126 |
| 25 | तेलंगाना | 134 | 175 | 424 | 392 |
| 26 | त्रिपुरा | 3 | 0 | 12 | 33 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 500 | 0 | 110 | 3,742 |
| 28 | उत्तराखंड | 85 | 24 | 255 | 156 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 52 | 0 | 209 | 0 |
| **कुल** | | **4,642** | **11,871** | **14,646** | **19,526** |

**संलग्नक -V**

**राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) के घटक-'ख' के अंतर्गत राज्यवार वित्तीय प्रगति (दिनांक 30.06.2026 तक)**

| क्र.सं. | राज्य | स्वीकृत धनराशि (लाख रुपये में) | | | | जारी निधि (₹ लाख में) | | | उपयोग की गई निधि (₹ लाख में) ऋण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ऋण | अनुदान | पीआई अंशदान | कुल | ऋण | अनुदान | कुल | ऋण | अनुदान | कुल |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 13577.93 | 7031.05 | 16579.98 | 37188.96 | 12968.64 | 6188.34 | 19156.98 | 3993.12 | 5696.89 | 9690.01 |
| 2 | बिहार | 5219.15 | 5082.97 | 1322.97 | 11625.09 | 4277.57 | 4195.59 | 8473.16 | 2747.41 | 3971.63 | 6719.03 |
| 3 | मध्य प्रदेश | 4690.70 | 562.00 | 4697.25 | 9949.95 | 4305.18 | 238.52 | 4543.70 | 3172.36 | 238.52 | 3410.87 |
| 4 | पंजाब | 27167.30 | 5450.67 | 3029.37 | 35647.34 | 27011.81 | 4432.55 | 31444.36 | 18218.77 | 4334.04 | 22552.81 |
| 5 | राजस्थान | 24233.91 | 8086.67 | 3099.93 | 35420.50 | 18108.96 | 6897.40 | 25006.36 | 15453.09 | 6607.18 | 22060.27 |
| 6 | तेलंगाना | 6811.68 | 1246.31 | 672.03 | 8730.02 | 6991.91 | 849.18 | 7841.09 | 6795.85 | 841.37 | 7637.23 |
| 7 | उत्तर प्रदेश | 2989.93 | 8924.87 | 577.41 | 12492.21 | 2989.92 | 7791.88 | 10781.80 | 2854.45 | 7743.16 | 10597.61 |
| 8 | उत्तराखंड | 0.00 | 560.30 | 61.62 | 621.92 | 0.00 | 559.81 | 559.81 | 0.00 | 559.81 | 559.81 |
| 9 | पश्चिम बंगाल | 4868.63 | 1198.28 | 815.88 | 6882.78 | 2142.69 | 402.54 | 2545.23 | 165.11 | 402.46 | 567.57 |
| | **कुल योग** | **89559.21** | **38143.12** | **30856.42** | **158558.75** | **78796.69** | **31555.81** | **110352.50** | **53400.1** | **30395.05** | **83795.21** |